राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 449वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/ टीओआर /अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती प्रतिमा ठाकुर), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1919)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 71338/2022, दिनांक 22/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 31/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1 एवं 2, कुल क्षेत्रफल–1.069 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,128.39 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल सिंह ठाकुर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 1 एवं 2, कुल क्षेत्रफल–1.069 हेक्टेयर, क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन (वित्तीय वर्ष में) की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः समिति का मत है कि विगत वर्षों में किए गए

उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति तक (वित्तीय वर्ष में) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आमाकोनी का दिनांक 10/12/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 6964/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2021(2) नवा रायपुर, दिनांक 30/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 304/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 64.024 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 304/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती प्रतिभा ठाकुर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/12/2011 से 30/12/2021 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/12/2021 से 30/12/2041 तक विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/2323 बलौदाबाजार, दिनांक 18/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 9.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम–आमाकोनी 1.15 कि.मी., अस्पताल ग्राम–सुहेला 4 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। तालाब 1.48 कि.मी. एवं शिवनाथ 17.4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,33,603 टन, माईनेबल रिजर्व 2,44,063 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,31,859 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,937.82 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,510 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग नहीं किया जाता है एवं ब्लास्टिंग की आवश्यकता होने पर डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त कर, अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,241.33	षष्टम	15,765.02
द्वितीय	25,211.99	सप्तम	14,324.12
तृतीय	20,487.57	अष्टम	12,949.69
चतुर्थ	18,846.69	नवम	11,641.71
पंचम	17,272.50	दशम	10,400.04

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 185 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में उत्खनन क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष उल्लेखित है, जबकि प्रस्तुत क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,241.33	षष्टम	15,765.02
द्वितीय	25,211.99	सप्तम	14,324.12
तृतीय	20,487.57	अष्टम	12,949.69
चतुर्थ	18,846.69	नवम	11,641.71
पंचम	17,272.50	दशम	10,400.04

समिति का मत है कि आगामी वर्षों (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता आवेदित उत्खनन क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आगामी वर्षों में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता आवेदित उत्खनन क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण रियल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बोरझरा, पोस्ट–तेन्दुआ, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2236)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 411374/2022, दिनांक 20/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बोरझरा, पोस्ट–तेन्दुआ, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 191, 192/1, 192/2, कुल क्षेत्रफल–1,88,623 वर्गफीट (1.753 हेक्टेयर), क्षमता विस्तार के तहत् री–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बार्स एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट्स/स्क्वेयर, चैनल्स सेक्शन) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपए 18.2 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयालाल पटेल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.बार एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, चैनल्स, सेक्शन आदि) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। जो कि दिनांक 30/01/2024 तक वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चंद्रा हाई स्कूल 2.2 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन उरकुरा 6.64 कि.मी. एवं लालमाटी मल्टीस्पेशालिटी अस्पताल 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 19.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 2.8 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.4 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण रियल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत –

S.No.	Land use	Area (in SQFT)
1.	Rooftop/ Builtup Area	64,249
2.	Area Under the Road and Paved Area	25,000
3.	Green Belt Area (33.88%)	63,920
4.	Open Area	35,454
Total		**1,88,623**

समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाकर तद्नुसार लेण्ड एरिया स्टेटमेंट संशोधित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Name of Waste	Existing Capacity (TPA)	Proposed Capacity (TPA)	After Proposed Expansion (TPA)
End Cutting (M S Scrap) and Miss Roll	900	864	1,764
Mill Scale	150	144	294
Total	**1,050**	**1,008**	**2,058**

- वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को फेरो एलॉय प्लांट को विक्रय किया जाएगा। मिस रोल एवं मिस कास्ट को इण्डक्शन फर्नेस में पुनः उपयोग किया जाएगा। यूज्ड ऑयल/वेस्ट ऑयल को अधिकृत रिसाईकलर का उपलब्ध कराया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकवरी यूनिट को उपलब्ध कराया जाएगा। इण्डक्शन फर्नेस की रिलाईनिंग से उत्पन्न रिफ्रैक्टरी वेस्ट को रिफ्रैक्टरी इकाइयों को रिसाईकलिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्लांट से निकलने वाले ई–कचरा, लीड एसिड बैटरी को अधिकृत रिसाईकलर का उपलब्ध कराया जाएगा।

6. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

7. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु वर्तमान में 1.3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 4.8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

8. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 63,920 वर्गफीट (33.88 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण आगामी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत करते हुये ले–आउट प्लान (केएमएल) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं प्रस्तुत प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट में निम्नानुसार तथ्य पाया गया :–

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण में इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना बताया गया है।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 6 में कोल गैसीफायर आधारित रि–हीटिंग फर्नेस 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष किया जाना उल्लेखित है, जबकि प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 11 में वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना एवं 9 मीट्रिक टन गुणा 2 नग प्रस्तावित किया जाना तथा रि–हीटिंग फर्नेस को बदलकर हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल किया जाना प्रस्तावित है।

   iii. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.बार एण्ड रौड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, चैनल्स, सेक्शन आदि) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग भी स्थापित होना बताया गया है। अतः इण्डक्शन फर्नेस हेतु वैध जल एवं वायु सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रॉ–मटेरियल के रूप में एम.एस. इंगाट/बिलेट्स एवं कोल की जानकारी दी गई है। स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में कच्चे माल हेतु कोई जानकारी नहीं दी गई है।

   उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

10. वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था की जानकारी तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

11. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की गणना की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल प्रबंधन व्यवस्था (जल की मात्रा, स्त्रोत, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा) की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ऑनलाईन आवेदन में री-रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण में इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना बताया गया है। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

2. ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाकर तदनुसार लेण्ड एरिया स्टेटमेंट संशोधित कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत करते हुये ले-आउट प्लान (केएमएल) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रस्तुत प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 6 में कोल गैसीफायर आधारित रि-हीटिंग फर्नेस 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष किया जाना उल्लेखित है, जबकि प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 11 में वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना एवं 9 मीट्रिक टन गुणा 2 नग प्रस्तावित किया जाना तथा रि-हीटिंग फर्नेस को बदलकर हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.बार एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, चैनल्स, सेक्शन आदि) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग भी स्थापित होना बताया गया है। अतः इण्डक्शन फर्नेस हेतु वैध जल एवं वायु सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में कच्चे माल हेतु जानकारी मात्रा सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था की जानकारी तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की गणना की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल प्रबंधन व्यवस्था (जल की मात्रा, स्त्रोत, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मैसर्स छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गोंदवारा, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2212)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 407019/ 2022, दिनांक 30/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गोंदवारा, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 4 एवं 5, कुल क्षेत्रफल–4.09 एकड़ में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (हॉट चार्ज) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 3 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष घुप्पड़, कॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/09/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/06/2024 तक वैध है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–गोंदवारा 900 मीटर एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 250 मीटर दूर है। खारून नदी 7.5 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित

पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार लीज मेसर्स छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। उक्त भूमि सीएसआईडीसी से लीज में प्राप्त की गई है।

4. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S. No.	Particular	Existing Area (m^2)	Proposed Area (m^2)	Total Area (m^2)	Area (%)
1.	Introduction Furnace Area	1,400	836	2,236	13.509
2.	Rolling Mill Area	1,990	-	1,990	12.023
3.	Finished Good Area	610	300	910	5.498
4.	Raw Material Yard	650	343.75	993.75	6.004
5.	Parking Area	500	160	660	3.987
6.	Road Area	728.24	-	728.24	4.399
7.	Greenbelt Area	4,965.3	1,658.41	6,623.71	40.019
8.	Open Area	5,707.46	-	2,409.30	14.556
Total		**16,551.00**	**3,298.16**	**16,551.00**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल** –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transport
For Induction Furnace				
A	Sponge Iron	48,500	Open market	By road
B	Scrap	15,000		
C	Alloys	660		
For Rolling Mill				
A	Billets	59,500	Own generation	In House

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	8 x 2 TPH	8 x 2 TPH + 10 x 1 TPH
2.	Production	Rerolled products through Induction Furnace with CCM (Hot Charge) - 30,000 TPA	Rerolled products through Induction Furnace with CCM (Hot Charge) - 59,500 TPA
3.	Working Hours	12	15

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 28 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाएगा। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

S. No.	Particular	Existing Quantity	Proposed Quantity	Total Quantity	Management
1.	Slag	1,200 TPA	1,250 TPA	2,450 TPA	Sold to Slag processing unit
2.	Mill Scale	300 TPA	300 TPA	600 TPA	Reuse in process
3.	STP Sludge	-	7.5 TPA	7.5 TPA	Will be used as manure for Plantation
4.	Used Oil	100 Litre/Year	80 Litre/Year	180 Litre/Year	Sold to Authorized Vendors
5.	Kitchen Waste	4.5 Kg/day	5.5 Kg/day	10 Kg / day	Bio Composting

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 31 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 6 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है उपचारित जल को हरित पट्टिका के विकास में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,255 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.6 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर, गहराई 2.6 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.6 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर, गहराई 2.6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है, इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,536.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 28 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,550 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 4590 वर्गमीटर क्षेत्र में 1,020 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत 6,560 वर्गमीटर (40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 635 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 635 नग पौधों के लिए राशि 76,200 रूपये, खाद के लिए राशि 19,050 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,31,250 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 4,62,400 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किया जाना बताया गया है।

समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत करते हुये

वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3	Following activities at, Village-Gondwara	
			Plantation around Pond	6.82
			Total	**6.82**

14. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 250 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,25,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,21,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,83,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,99,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के सहमति उपरांत तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की स्थापना (चिमनी की ऊंचाई सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान स्थिति में उद्योग परिसर में रोपित किये गये पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तावित परियोजना उपरांत उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु

फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण हेतु नगर पालिक निगम रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

4. मैसर्स पेण्ड्रीतराई डोलोमाईट क्वारी (प्रो.– श्री नटवर लाल ताम्रकार), ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2130ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/288028/2022, दिनांक 16/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21/3(पार्ट), 21/4 एवं 471(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.32 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नटवर लाल ताम्रकार, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई का दिनांक 18/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 384/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(1) नवा रायपुर, दिनांक 23/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3669 ए/खनि.लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 डोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 1.94 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 6 चूना पत्थर खदानें, क्षेत्रफल 5.475 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3669 ए/खनि.लि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री नटवर लाल ताम्रकार के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3226/खनिज/उ.प./2020 दुर्ग, दिनांक 15/12/2020 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 44/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/10/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज, 2015 के नियम 42(5) परंतु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/3568 दुर्ग, दिनांक 11/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पेण्ड्रीतराई 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–पेण्ड्रीतराई 1 कि.मी. एवं अस्पताल अहिवारा 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 6 कि.मी. एवं नहर 50 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,65,500 टन, माईनेबल रिजर्व 1,13,498 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,02,148 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,197 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,671 घनमीटर है। जिसमें से 1,203 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 468 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र के कुछ भाग में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8.41 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,500	षष्टम	13,500
द्वितीय	13,500	सप्तम	13,500
तृतीय	13,500	अष्टम	13,500
चतुर्थ	13,500	नवम	5,496
पंचम	13,500		

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम / स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 680 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 34,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,13,230 रूपये, खाद के लिए राशि 6,800 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,87,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,41,230 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,40,640 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 4,370 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं प्रस्तावित क्रशर हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1	Following activities at, Village- Kokadi	
			Plantation in approach village road	6.65
			Total	6.65

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 24,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,27,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,63,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,02,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई के आश्रित ग्राम कोकड़ी के पहुंच मार्ग के दोनों ओर, खसरा क्रमांक 272) में वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में एवं लेण्ड यूज पैटर्न में क्रशर की स्थापना के संबंध में उल्लेख नहीं है, परंतु माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना में लीज क्षेत्र में 4,370 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं प्रस्तावित क्रशर हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने का उल्लेख है। अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य प्रतिबंधित क्षेत्र नहर से 100 मीटर की दूरी छोड़कर किये जाने संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से संरक्षित रखे जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन सुनिश्चित करने एवं ऐसे ना किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर की स्थापना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। यदि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर की स्थापना किया जाना है तो क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए एवं माईनिंग प्लान में संशोधन कर रिजर्व की गणना करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सार्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री अशोक सिंह ठाकुर), ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1920)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/71388/2022, दिनांक 25/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से क्रमशः ज्ञापन दिनांक 31/01/2022 एवं 17/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया

गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी क्रमशः दिनांक 09/08/2022 एवं 17/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 471/2, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,098.68 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक सिंह ठाकुर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 471/2, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर, क्षमता–10,098.68 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन (वित्तीय वर्ष में) की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः समिति का मत है कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति तक (वित्तीय वर्ष में) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रानीजरौद का दिनांक 23/04/1999 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उत्खनन के लिए 10 वर्ष हेतु लीज में दिये जाने का निर्णय लिया गया। अतः समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पू. ज्ञापन क्र. 6962/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(2) नवा रायपुर, दिनांक 30/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 303/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 63.273 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 303/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अशोक ठाकुर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 10/06/2002 से 09/06/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 10/06/2012 से 09/06/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/2332 बलौदाबाजार, दिनांक 18/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10.2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रानीजरौद 1.2 कि. मी., स्कूल ग्राम–सुहेला 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सुहेला 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 17.7 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 11,86,465 टन, माईनेबल रिजर्व 4,34,744 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,13,007 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,117.14 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,770.87	षष्टम	35,894.60
द्वितीय	33,099.85	सप्तम	33414.01
तृतीय	43,722.61	अष्टम	30997.74
चतुर्थ	41048.91	नवम	28645.66
पंचम	38439.57	दशम	26357.76

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,117.14 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग 7 मीटर गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में उत्खनन क्षमता 10,098.68 टन प्रतिवर्ष उल्लेखित है, जबकि प्रस्तुत क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,770.87	षष्टम	35,894.60
द्वितीय	33,099.85	सप्तम	33414.01

तृतीय	43,722.61	अष्टम	30997.74
चतुर्थ	41048.91	नवम	28645.66
पंचम	38439.57	दशम	26357.76

समिति का मत है कि आगामी वर्षों में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता आवेदित उत्खनन क्षमता 10,098.68 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आगामी वर्षों में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता आवेदित उत्खनन क्षमता 10,098.68 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. मेसर्स लालपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अखिलेश कुमार सिंह), ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 671)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72320/ 2018, दिनांक 16/01/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 294839/ 2022, दिनांक 19/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 274/1 एवं 274/6, कुल क्षेत्रफल–4.479 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 455, दिनांक 15/02/2019 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. की वैधता वृद्धि किये जाने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17/02/2020 एवं दिनांक 18/01/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट पर्यावरण संरक्षण मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को समिति के संज्ञान में लेते हुए टी.ओ.आर. की वैधता वृद्धि 1 वर्ष हेतु विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवीण सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि टी.ओ.आर. की वैधता 3 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/02/2022 तक थी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 751(अ) दिनांक 17/02/2020 के अनुसार "The Terms of Reference for the projects or activities except for River valley and Hydro- electric projects, issued by the regulatory authority concerned, shall have the validity of four years from the date of issue. In case of the River valley and Hydro-electric projects, the validity will be for five years." का उल्लेख है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के अनुसार "The period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Terms of Reference granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its

control, however, all activities undertaken during this period in respect of the said Terms of Reference shall be treated as valid." का उल्लेख है।

4. समिति का मत है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार टी.ओ.आर. की वैधता दिनांक 14/02/2023 तक होगी।

5. बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार "(iii) The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC, (iv) At the time of application for EC, in case baseline data is older than three years, but less than five years old in the case of River valley and HEP Projects, or less than four years old in the case of other projects, the same shall be considered, subject to the condition that it is revalidated with one season fresh non-monsoon data collected after three years of the initial baseline data." है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर 1 वर्ष के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) की अवधि को विस्तारित करने का समिति के समक्ष अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में टी.ओ.आर. की वैधता वृद्धि किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स दोनर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री देवकांत पटेल), ग्राम–दोनर, तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2235)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 411499/ 2022, दिनांक 20/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–दोनर, तहसील व जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 2774, कुल क्षेत्रफल–4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रीकांत शुक्ला, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दोनर का दिनांक 13/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशा.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 849–850/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2022–23 उ.ब.कांकेर, दिनांक 19/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1811–सी/खनि/न.क्र./2022 धमतरी, दिनांक 12/12/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1811–ए/खनि/न.क्र./2022 धमतरी, दिनांक 12/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री देवकांत पटेल के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1792/खनिज/निविदा/2022 धमतरी, दिनांक 08/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दोनर 900 मीटर, स्कूल ग्राम–दोनर 1 कि.मी. एवं अस्पताल कुरूद 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 500 मीटर की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 726 मीटर, न्यूनतम 662 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 282 मीटर, न्यूनतम 277 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 178 मीटर, न्यूनतम 174 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 134 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 से 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 99,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनि निरीक्षक से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.26 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 20/12/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52.10	2%	1.04	Following activities at Nearby, Village- Donar	
			Plantation in Village pond	1.205
			Total	1.205

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (जामुन, पीपल, नीम, आम, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 6,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 43,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट पर (अर्जुन, जामुन, आम, करंज, कटहल एवं इमली) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 90,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 86,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,27,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 1,86,000 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वनमण्डलाधिकारी, धमतरी से एवं उपसंचालक, उदंती सीतानदी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स दर्री सेण्ड क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा), ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2237)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/सीजी/एमआईएन/411396/2022, दिनांक 20/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 759, कुल क्षेत्रफल–16 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,17,334 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय साहेब, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दर्री का दिनांक 16/05/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप–संचालक (खनि प्रशा.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 846–847/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2022–23 कांकेर, दिनांक 19/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1810–सी/खनि/न.क्र/2022 धमतरी, दिनांक 13/12/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1810–ए/खनि/न.क्र./2022 धमतरी, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1791/खनिज/निविदा/2022 धमतरी, दिनांक 08/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दर्री 106 मीटर, स्कूल ग्राम–दर्री 1 कि.मी. एवं अस्पताल धमतरी 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.06 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 500 मीटर की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 775 मीटर, न्यूनतम 595 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 735 मीटर, न्यूनतम 725 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 250 मीटर, न्यूनतम 174 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 117 मीटर, न्यूनतम 61 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 3 से 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–3,17,334 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 16 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी

वास्तविक गहराई का मापन कर, खनि निरीक्षक से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 20/12/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 775 मीटर, न्यूनतम 595 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 117 मीटर, न्यूनतम 61 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक (जो भी अधिक हो) के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़े जाने पर 1,333 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 15.8667 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1810–सी/खनि/न.क्र/2022 धमतरी, दिनांक 13/12/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–दरी) का क्षेत्रफल 16 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project Proponent shall submit the co-ordinates of Boundary.

v. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

vi. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स पचेढ़ा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री पीयूष पटेल), ग्राम–पचेढ़ा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2244)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 411934/ 2022, दिनांक 24/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पचेड़ा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1214, कुल क्षेत्रफल–2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स पवनपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संदीप कुमार अग्रवाल), ग्राम–पवनपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2245)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 412423/2022, दिनांक 29/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पवनपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 897, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,938 टन (1,130 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर लाल अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
    i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 897, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–1,130 घनमीटर (2,938 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक

17/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष हेतु वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 2079/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 31/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
17/03/2017 से 31/12/2017 तक	840
01/01/2018 से 31/12/2018 तक	440
01/01/2019 से 31/12/2019 तक	855
01/01/2020 से 30/09/2020 तक	790
01/10/2020 से 31/03/2022 तक	निरंक

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 16/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किये जाने के कारण परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

11. मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी), ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2246)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 412307 / 2022, दिनांक 30 / 12 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 2,945.76 टन (1,227.4 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अंकित तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 235, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर, क्षमता– 1,227.4 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 110 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 102/क/खनि/न.क./2022 महासमुंद, दिनांक 24/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 31/12/2017 तक	निरंक
01/01/2018 से 31/12/2018 तक	99
01/01/2019 से 31/12/2019 तक	16

01/01/2020 से 31/12/2020 तक	102
01/01/2021 से 30/09/2021 तक	66
01/10/2021 से 31/03/2022 तक	60
01/04/2022 से 30/09/2022 तक	140

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलसोण्डा का दिनांक 23/11/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1586/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 06/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 383/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.06 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 383/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती रत्ना तिवारी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/12/2005 से 06/12/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/12/2015 से 06/12/2035 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.धि./खनिज/4041 महासमुंद, दिनांक 22/10/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 14 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलसोण्डा 330 मीटर, स्कूल ग्राम–बेलसोण्डा 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 950 मीटर एवं राज्यमार्ग 11.75 दूर है। नहर 540 मीटर, तालाब 600 मीटर एवं महानदी नदी 2.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,02,173 टन (1,25,905 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 63,656 टन (26,523 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 47,742 टन (19,892 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,25,402 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 26,020 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,006.89 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,659.94 घनमीटर है, जिसमें से 703 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र में संरक्षित कर पुनःभराव हेतु उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,390.59	षष्टम	2,392.00
द्वितीय	2,391.91	सप्तम	2,382.44
तृतीय	2,396.38	अष्टम	2,380.89
चतुर्थ	2,429.35	नवम	2,371.48
पंचम	2,465.88	दशम	2,377.35

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.99 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 199 नग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। वर्तमान में 110 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 88 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 88 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 9,900 रूपये, डस्ट सप्रेशन के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,25,800 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 7,59,200 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,006.89 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 268.38 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to

arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.54	2%	0.25	Following activities at, Govt. Middle School Village- kharora	
			Plantation around school	0.26
			Total	**0.26**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति द्वारा सी.ई.आर. के तहत् आवेदित खदान एवं समीपस्थ अन्य खदान (ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 279, कुल क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर) को समाहित करते हुए संयुक्त रूप से सी.ई. आर. के लिए प्रस्ताव राशि 54,000 रुपये का प्रस्तावित किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 11,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 24,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 30,000 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आवेदित खदान की सहभागिता 26,000 रुपये है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 383/क/खनि/न.क./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.06 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बेलसोण्डा) का क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बेलसोण्डा) को मिलाकर कुल रकबा 3.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर, क्षमता – 2,465 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

12. मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी), ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2247)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 412237 / 2022, दिनांक 30 / 12 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 279, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,279.28 टन (949.7 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अंकित तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 279, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर, क्षमता–949.70 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 110 नग किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 103/क/खनि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 24/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 31/12/2017 तक	331
01/01/2018 से 31/12/2018 तक	703
01/01/2019 से 31/12/2019 तक	04
01/01/2020 से 31/12/2020 तक	73
01/01/2021 से 30/09/2021 तक	192
01/10/2021 से 31/03/2022 तक	60
01/04/2022 से 30/09/2022 तक	128

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलसोण्डा का दिनांक 09/01/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1600/क/खा.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 10/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 384/क/खनि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.06 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 384/क/खनि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती रत्ना तिवारी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/06/2006 से 13/06/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/06/2016 से 13/06/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वयं की अन्य खदान (खसरा क्रमांक 235 कुल रकबा 0.6 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमाक/मा. चि./4041 महासमुंद, दिनांक 22/10/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 14 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलसोण्डा 450 मीटर, स्कूल ग्राम–बेलसोण्डा 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.7 कि.मी. दूर है। नहर 650 मीटर, तालाब 690 मीटर एवं महानदी नदी 2.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,64,840 टन (1,10,350 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 62,915 टन (26,214 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 47,186 टन (19,661 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,08,859 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 24,723 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,042.89 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,539.22 घनमीटर है, जिसमें से 715 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष ऊपरी मिट्टी लीज क्षेत्र में संरक्षित कर पुनःभराव हेतु उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,278.67	षष्टम	2,278.57
द्वितीय	2,277.05	सप्तम	2,279.47
तृतीय	2,279.09	अष्टम	2,279.42
चतुर्थ	2,279.32	नवम	2,277.06
पंचम	2,278.93	दशम	2,279.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 201 नग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। वर्तमान में 110 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 91 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 91 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 1,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,050 रूपये, धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,26,050 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 7,24,400 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,042.89 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 175 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii @ के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to

arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11.54	2%	0.23	Following activities at, Govt. Middle School Village- kharora	
			Plantation around school	0.28
			Total	**0.28**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति द्वारा सी.ई.आर. के तहत् आवेदित खदान एवं समीपस्थ अन्य खदान (ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर) को समाहित करते हुए संयुक्त रूप से सी.ई. आर. के लिए प्रस्ताव राशि 54,000 रुपये का प्रस्तावित किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 24,000 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 30,000 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आवेदित खदान की सहभागिता 26,000 रुपये है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 384/क/खनि/म.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.06 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बेलसोण्डा) का क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बेलसोण्डा) को मिलाकर कुल रकबा 3.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 279 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर, क्षमता – 2,279 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 441वीं एवं 442वीं बैठक क्रमशः दिनांक 15/12/2022 एवं 16/12/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 25/01/2023 को किया गया।

2. **मेसर्स शुभम सिंडिकेट एलएलपी, प्लाट नं. 01 से 05, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2051)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 77461/2022, दिनांक 28/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 411831/ 2022,

दिनांक 23/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित केमिकल यूनिट फॉर मेन्युफेक्चरिंग ऑफ फॉर्मेल्डिहाईड है। यह इकाई बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित प्लाट क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5, कुल क्षेत्रफल–0.8168 हेक्टेयर (8,168 वर्गमीटर) में फॉर्मेलडिहाईड क्षमता–36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित है। परियोजना का विनियोग रुपये 9 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(घ) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधीर जैन, पार्टनर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक दिनांक 25/01/2023 में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक दिनांक 25/01/2023 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधीर जैन, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इन्वायरो इन्फा सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, गाजियाबाद की ओर से श्री दीपक पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर दुर्ग 10 कि.मी., स्कूल 2 कि.मी. एवं जिला अस्पताल 780 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन दुर्ग 12 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानन्द विमानपत्तन माना, रायपुर 66 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3 कि.मी. दूर है।

2. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area	
		(m^2)	(%)
1.	Total Covered area (Proposed)	1,109	13.58
2.	Green Belt Area (Proposed)	3,676	45.00
3.	Paved & Open Area (Proposed)	1,583	19.38
4.	Road Area	1,800	22.04
Total		**8,168**	**100**

4. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक 2/10/ 009/ ओटीएच/1 to 5/ 20220602/ 3041 रायपुर, दिनांक 09/05/2022 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बोरई में प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि आबंटन हेतु एल.ओ.आई. (Land allotment) जारी की गई है।

5. **प्रोसेस एवं टेक्नालॉजी** – फॉर्मेलडिहाईड के निर्माण हेतु मेथेनॉल टैंक, मिक्सिंग टैंक, बॉयलर, रियेक्टर विथ सिल्वर बेड, स्टीम जनरेटर, एब्जॉसन टॉवर, हिट एक्सेन्जर, कूलिंग वॉटर, डिस्टिलेशन आदि प्रोसेस किया जाना प्रस्तावित है। फॉर्मेलडिहाईड के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में मेथेनॉल एवं उत्प्रेरक (Catalyst) के रूप में सिल्वर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक से मेथेनॉल को पम्प के माध्यम से मिक्सिंग टैंक में ले जाया जाएगा। मिक्सिंग टैंक में पानी का उपयोग किया जाकर डायल्युट मेथेनॉल सॉल्युशन प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात् डायल्युट मेथेनॉल सॉल्युशन को इवापोरेटर (Evaporator) में हवा एवं स्टीम के साथ उचित अवस्था में वाष्पीकृत किया जाएगा। इवापोरेटर (Evaporator) से प्राप्त मिश्रण (हवा, मेथेनॉल एवं स्टीम) को रियेक्टर (Containing Catalyst Silver Bed) से गुजारने के पश्चात् गैसीय अवस्था में फॉर्मेलडिहाईड (By Exothermic Reaction) प्राप्त होगा। 670°C के गैसीय फॉर्मेलडिहाईड के मिश्रण को कण्डेन्शर (Condenser) से गुजारने के पश्चात् गैसीय अवस्था में फॉर्मेलडिहाईड का मिश्रण 110°C में प्राप्त होगा। लिक्विड फॉर्मेलडिहाईड (Desired Liquid Formaldehyde) प्राप्त करने हेतु फॉर्मेलडिहाईड के मिश्रण को पुनःचक्रण किया जाना प्रस्तावित है।

6. **रॉ–मटेरियल –**

Raw Material	Quantity	Source	Transpotation Mode
Methanol	18,000 TPA	Chemical Market	Road
Silver (As Catalyst)	100 Kg	Catalyst Supplier	Road

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – एक्जास्ट गैस (उत्सर्जित गैस) को पूरी प्रक्रिया के माध्यम से चैनलाइज्ड किया जाएगा एवं इसका उपयोग विभिन्न प्रक्रिया जैसे हिटिंग, रासायनिक उपयोग आदि में किया जाएगा। नॉन आई.बी. आर. (Non Indian Boiler Regulation) बॉयलर में ईंधन के रूप में हाई सल्फर डीजल (HSD) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, बॉयलर में चिमनी की ऊंचाई 6 मीटर प्रस्तावित है। समिति का मत है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार बॉयलर में चिमनी की गणना कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया हेतु ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होगी। प्रक्रिया से उत्पन्न यूस्ड ऑयल 48 लीटर प्रतिवर्ष को अधिकृत रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा।

यूस्ड प्लॉस्टिक शीट्स, कार्ड–बोर्ड बॉक्सेस को रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित औद्योगिक प्रकिया से कोई ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगी। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित औद्योगिक प्रकिया से कोई ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 120 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 80 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग टावर हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति औद्योगिक क्षेत्र (Through pipe link) से लिया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगी। कुलिंग टावर से प्राप्त दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। कुलिंग टावर से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को घरेलू उपयोग के तहत् टॉयलेट फलसिंग में किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ)वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब)ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 115.3 घनमीटर प्रतिघंटा है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके तथा सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 300 किलोवॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 300 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। जिसमें रूफ लेवेल से 6 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की जाएगी।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3,676 वर्गमीटर (लगभग 45 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,000 नग पौधे रोपित किया

जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 2,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,50,000 रूपये एवं कुल राशि 5,20,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल 2022, से जून 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल :–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	18.6	42.8	60
PM_{10}	22.5	84.0	100
SO_2	5.3	13.7	80
NO_2	11.9	20.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	50.2	54.0	55
Night L_{eq}	40.1	43.0	45

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:–

Status	PCU / Hr	V/C ratio
Existing	501.41	0.29
Proposed	573.47	0.33

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good 0.2-0.4) के भीतर है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
900	2%	18	Following activities at, **Village- Rasmada**	
			Eco Park Nirman	20
			Total	**20**

14. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये एवं झाड़ियों (Shrubbs development) के लिए राशि 60,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,71,800 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 80,000 रूपये, 6 नग सिटिंग चेयर के लिए राशि 1,20,000 रूपये, 2 नग झूले के लिए राशि 60,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,28,200 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 10,00,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रसमड़ा से सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (मुक्तिधाम के पास, खसरा क्रमांक 1048, रकबा 0.121 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
15. "मेथेनाल के भंडारण हेतु संबंधित विभाग से उनके शर्तों व नियमों के तहत् आवेदन कर भंडारण करने हेतु लाईसेंस लिया जाएगा एवं सभी नियमों का पालन किया जाएगा" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. "Whatever unreacted methanol will be generated in the manufacturing process will be used again in the process along with fresh raw material." इस आशय का अंडरटेकिंग (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. "No litigation is pending in any court of law." इस आशय का अंडरटेकिंग (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार बॉयलर में चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित औद्योगिक प्रक्रिया से कोई ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि यदि प्रक्रिया से कोई परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न होता है, तो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट

(प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् प्राधिकार प्राप्त किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग (undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(क्लदियुस तिर्की)	(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
सदस्य सचिव	अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़

मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235, कुल लीज क्षेत्र 0.54 हेक्टेयर, ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद में फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन कुल क्षमता 2,465 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.54 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्शी पत्थर का अधिकतम उत्खनन कुल क्षमता 2,465 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.54	2%	0.25	Following activities at Govt. Middle School	

			Village- kharora	
			Plantation around school	0.26
			Total	0.26

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. के तहत् आवेदित खदान एवं समीपस्थ अन्य खदान (ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 279, कुल क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर) को समाहित करते हुए संयुक्त रूप से सी.ई.आर. के लिए प्रस्ताव राशि 54,000 रुपये का प्रस्तावित किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 24,000 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 30,000 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आवेदित खदान की सहभागिता 26,000 रुपये है, प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए। सत्यापन पश्चात् सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 88 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 288 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रौक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वैट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 279, कुल लीज क्षेत्र 0.54 हेक्टेयर, ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद में फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन कुल क्षमता 2,279 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.54 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्शी पत्थर का अधिकतम उत्खनन कुल क्षमता 2,279 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11.54	2%	0.23	Following activities at, Govt. Middle School	

			Village- kharora	
			Plantation around school	0.28
			Total	**0.28**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. के तहत् आवेदित खदान एवं समीपस्थ अन्य खदान (ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर) को समाहित करते हुए संयुक्त रूप से सी.ई.आर. के लिए प्रस्ताव राशि 54,000 रुपये का प्रस्तावित किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 24,000 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 30,000 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आवेदित खदान की सहभागिता 26,000 रुपये है, प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए। सत्यापन पश्चात् सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 91 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 291 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रौक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट **parivesh.nic.in** पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.